

## कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र सं०-09/उपा०बीज अनु०-52/2013 5169 /क० पटना, दिनांक 07-12-2016

प्रेषक,

हिमांशु कुमार राय, भा० प्र० से०  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

सिमांशु

मेसर्स तेरा-तेरा सीड्स,  
मील रोड, बंधन टोला,  
आरा (भोजपुर)।

विषय : नई बीज अनुज्ञप्ति आवेदन दिनांक 09.10.2013 को अस्वीकृत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके आवेदन की समीक्षा के क्रम में पाया गया की आवेदन के साथ अद्यतन संबंधित शुल्क फसल प्रभेद की सूची एवं फसल प्रभेद के लिए उपर्युक्त है कि नहीं इस आशय का प्रभाव पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है।

अतः उपरोक्त कारणों से आपके नई बीज अनुज्ञप्ति आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

विश्वासभाजन,



(हिमांशु कुमार राय)  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

5169


ज्ञापांक :-

/क०, पटना, दिनांक 07-12-2016

प्रतिलिपि:- 1. संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/उप निदेशक (शष्य) बीज/ उप निदेशक (शष्य) मुख्यालय/उप निदेशक (शष्य) फसल/उप निदेशक (शष्य) तेलहन/उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण/उप निदेशक (शष्य) बीज निरीक्षण, बिहार, पटना/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, उद्यान (कृषि स्नातक)/ सभी बीज निरीक्षक को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि यदि उक्त प्रतिष्ठान द्वारा राज्य अन्तर्गत बीज का व्यवसाय किया जाय तो अवैध व्यपार मानते हुए बीज नियंत्रण आदेश 1983 के आलोक में कार्रवाई की जाय।

2. आई०२टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं ई-मेल करने हेतु प्रेषित।



कृषि निदेशक, बिहार, पटना।